

लागू सामान एवं सेवा कर (जीएसटी) अंतरिक्ष तहोता :- (क) इकोनॉमि श्रेणी में 5% (ख) प्रथम एवं बजिनेस श्रेणी में 12% असि एसकरियाओं पर लागू सामान एवं सेवा कर (जीएसटी) अंतरिक्ष तहोता होगा :-
--

**करिया नियम :**

धनवापसी/पुनःवैधीकरण/टिकटपुनःजारीकरानेकेलिए,लियेजानेवालेशुल्काकाविवरणनिम्नानुसारहै: 01जुलाई2017सेप्रभाव

	अरबीडी	टिकटपुनःजारीकरना/तिथिपरिवर्तनसहित(सभीसम्मिलित)	रद्दकरण/धनवापसीशुल्क(सभीसम्मिलित)	नो-शो(सभीसम्मिलित)
प्रथमश्रेणी	F & A	शून्य(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	शून्य(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसेपहले1घंटेसेकमसमय)
बजिनेसश्रेणी	C, D & J	शून्य(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	शून्य(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसेपहले1घंटेसेकमसमय)
	Z	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसेपहले1घंटेसेकमसमय)
इकोनॉमि श्रेणी	Y	शून्य(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	शून्य(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसेपहले1घंटेसेकमसमय)
	B & M	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसेपहले1घंटेसेकमसमय)
	H, K, Q, V, W, G, L & U	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसे1घंटापहलेतक)	*प्रस्थानसेपहले1घंटेसेकमसमयहोनेपरधनवापसीनहीं(मूलकरियाजब्त)
	T, S & E	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसे24घंटापहलेतक)।प्रस्थानमें24घंटेसेकमसमयहोनेपरअनुमतनहींहै।	2500/-भारतीयरुपएअथवामूलकरियाजोभीकमहो(प्रस्थानसे24घंटापहलेतक)।प्रस्थानसेपहले24घंटेसेकमसमयहोनेपरधनवापसीनहीं(मूलकरिया	*प्रस्थानसेपहले24घंटेसेकमसमयहोनेपरधनवापसीनहीं(मूलकरियाजब्त)

- (बु) किंग अरबी डी के अनुसार, जुमानाराशितथा लागू सामान एवं सेवा कर (जीएसटी)।  
(क) प्रथम तथा बजिनेस श्रेणी की टिकट पुनःजारी कराने पर: टिकट पुनःजारी कराने की राशिपर 12% (जीएसटी)।  
(ख) इकोनॉमि श्रेणी टिकट को पुनःजारी कराने पर: टिकट पुनःजारी कराने की राशिपर 5% (जीएसटी), जहां कहीं लागू है।  
(ग) प्रथम तथा बजिनेस श्रेणी की टिकटों के लिए रद्दकरण/धनवापसी प्रभार: टिकट पुनःजारी कराने की राशिपर 12% (जीएसटी),  
(घ) इकोनॉमि श्रेणी टिकट के लिए रद्दकरण/धनवापसी प्रभार: टिकट पुनःजारी कराने की राशिपर 5% (जीएसटी), जहां कहीं लागू है।

(इ) प्रथमतया बज्रि ने सश्रेणियों के लिए नो-शो प्रभार: नो-शो शुल्क का 12% (जीएसटी), जहां कहीं लागू है।

(च) इकोनॉमी श्रेणी के लिए नो-शो प्रभार: नो-शो शुल्क का 5% (जीएसटी), जहां कहीं लागू है।

(छ) शिशु टिकटों पर पुनः वैधीकरण/रद्दकरण प्रभार लागू नहीं है।

\* नागर विमानन महानिदेशालय की फाइल संख्या 23-16/2016-ईडी द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं के संदर्भ में, 1 अगस्त 2016 से किसी भी स्थिति में, रद्दकरण प्रभार मूलकरिाए पालसई धन अधिभार से अधिक नहीं होंगे।

(एअर इंडिया में घरेलू उड़ानों पर ईंधन प्रभार को मूलकरिाए में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है।)

\*\* अरबी डी H, K, Q, V, W, G, L, U, T, S & E में घरेलू सेक्टरों के लिए नो-शो प्रभार में छूट केवल तभी दी जाती है यदि यात्री घरेलू सेक्टर के लिए एयरपोर्ट पर रपिर्ट (काउंटर बंद होने के बाद लेकन उड़ान के प्रस्थान से पहले) करता है तथा उसे भुगतान वापस नहीं किया जाता है / वह एअर इंडिया की अगली उपलब्ध उड़ान पर यात्रा करता है।

ऐसी स्थिति में नो-शो यात्री को सहायता देने के लिए, 3000/- भारतीय रुपए तथा प्रथमतया बज्रि ने सश्रेणी टिकट के लिए 12% (जीएसटी) तथा इकोनॉमी श्रेणी टिकट के लिए 5% (जीएसटी) की छूट केवल उड़ान के समय में ही एयरपोर्ट ड्यूटी पर बंधक द्वारा पराधिकृत की जाएगी तथा इसके लिए सिटी बुकिंग कार्यालय में कोई वसूली/छूट प्राप्ति नहीं की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, अगली उपलब्ध उड़ान पर अरबी डी / उपलब्ध/लागू करिाया आधार के अनुसार, यदि करिाए की राशि में कोई अंतर है तो यात्री से उसकी वसूली जाएगी तथा इसके अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित नो-शो जुर्माने तथा लागू जीएसटी भी देय होगा।